जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जिला—मुंगेर।

बी.ए. नंबर 1144/2026

मुफसिल थाना कांड संख्या 354/2025

मो0 मुस्ताक बनाम बिहार राज्य।

08.06.2026 काराधीन आवेदक **मो0 मुस्ताक** जो दिनांक **27.04.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार के द्वारा संचालित किया गया। **जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक इसके अलावा किसी भी सक्षम न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध इस वाद के अलावा अन्य एक वाद 1. मुफसिल थाना कांड सं0 169/2025 दर्ज है।**

उभय पक्षों को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक पीटीसी 507 अभिषेक कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 07.10.2025 को 14:10 बजे थानाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना मिली कि तौफिर दियारा में कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिनीगन फैक्ट्री के संचालन का कार्य किया जा रहा है। सूचक ने उचित कार्यवाही कर अपने साथ पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल के साथ गंगा नदी पार कर तथा एक किमी पैदल चल उक्त स्थान पर गया, तो देखे कि कुछ व्यक्ति कुछ काम कर रहे थे। नजदीक जाने पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया तथा चार व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम हिमांशु कुमार बताया तथा भागने वालों का नाम मो0 रिंकू उर्फ फैयाज, मो0 मोसिम उर्फ चीकू, मो0 अफताब तथा मो0 मुस्ताक (आवेदक) बताया। पकड़ाए व्यक्ति के बदन से तलाशी के क्रम में कुछ नहीं मिला तथा स्थान की तलाशी के क्रम में तीन पीस लोहा का लकड़ी का फ्रेम लगा बेस मशीन, एक पीस लोहा का हैंड ड्रिल मशीन, दो पीस अर्द्धनिर्मित देशी पिस्टल, एक पीस पूर्ण निर्मित देशी पिस्टल, दो पीस लोहा का मैगजीन सहित अन्य आग्नैयास्त्र बनाने की बड़ी मात्रा में सामग्री सहित कल—पुर्जे बरामद कर जप्त किए गए तथा विधिवत जप्ती सूची तैयार की गयी। पकड़ाए व्यक्ति इस संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए तथा पकड़ाए व्यक्ति बताया कि सभी मिलकर अवैध आग्नैयास्त्र बनाकर बेचते थे तथा आपस में पैसे बांट लेते है। सूचक के आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 25(1)(a), 25(1-A), 25(1-AA), 25(1-B)a, 25(1-B)(c), 26(1), 26(2), 35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक का नाम सह अभियुक्त हिमांशु कुमार के द्वारा बताया

लगातार

08.06.2026. गया है। आवेदक दिनांक 27.04.2026 से कारा में है। वाद के सह अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गयी है। आवेदक के फरार होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध आग्नैयास्त्र रखने का आरोप लगाया गया है। आवेदक के पास से कोई भी आग्नैयास्त्र बरामद नहीं हुआ है। वाद के सह अभियुक्तों को समान आरोप पर न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की गयी है। आवेदक का नाम सह अभियुक्त के द्वारा बताया गया है। आवेदक दिनांक 27.04.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदक **मो0 मुस्ताक** को **दस हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदक वाद के निष्पादन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 08.06.2026

प्रतिलिपिः– विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति तथा मूल एवं पूरक दोनों अभिलेख वापस भेजा जाता है।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 08.06.2026